

07.11.22

वादी वकील उपरिधत पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण लम्बे समय से तलकी में विचाराधीन है। वकील वादी को इस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। एजिसट्री ऑफ़ के साथ सम्मन पेश करे, पेश करने पर जारी होकर पत्रावली आईन्दा 01/12/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) सिवाना

08-12-22

पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इतना होकर पत्रावली दिनांक 05-01-23 को पेश हो।

05-01-23

पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उपरिधत।  
परिधि अवसर देने के बावजूद उनके द्वारा प्रतिवादी गण की तलवी हेतु सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि वे प्रकरण की पैरवी के प्रति गंभीर नहीं हैं।

लिराजा वादी का वाद अहम पैरवी में खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।  
पत्रावली कैसल शुमार लेकर दारखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) सिवाना